348/

संख्या: ——— /I(2)/2013-04(1)/07/09

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2, देहरादूनः दिनांकः 26 फरवरी, 2013

विषयः– **व्यासी जल विद्युत परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यो हेतु वर्ष 2012–13 में पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 275/प्रनि/यूजेवीएनलि0/ए–17/एच.ई.पी.–72 दिनांक 06.02.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

ब्यासी जल विद्युत परियोजन के निर्माण कार्य हेतु राज्य सैक्टर में अंशपूजी के रूप में कुल रू0 280.87 करोड के सापेक्ष अभी तक शासनादेश संख्या – 842/I(2)/2009-04(1)/07/2009 दिनांक 27.03.2009 द्वारा रू0 1000.00 लाख, शासनादेश संख्या 424/I(2)/2010-04(1)/07/2009 दिनांक 02.03.2010 द्वारा रू0 5416.00 लाख, शासनादेश संख्या 541/I(2)/2010-04(1)/07/2009 दिनांक 15.03.2010 द्वारा रू0 1891.00 लाख, शासनादेश संख्या 2810/I(2)/2011-04(1)/07/2009 दिनांक 22.12.2011, रू0 354.00 लाख तथा शासनादेश संख्या 1457/I(2)/2012-04(1)/07/2009 दिनांक 19.10.2012 रू0 1099..00 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू0 20.00 करोड (रूपये बीस करोड मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखते हुए श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) यूजेवीएनएल द्वारा उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(ii) परियोजना हेतु अग्रेत्तर अंशपूंजी अवमुक्त करने का प्रस्ताव तभी किया जाय जब परियोजना हेतु वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत करा लिया जाय और अनुपातिक आधार पर ऋण भी आहरित करा लिया जाय। साथ ही आहरित ऋण एवं अवमुक्त अंशपूंजी के सापेक्ष Utilization प्रमाण पत्र तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति अग्रेत्तर प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत की जाए।

(iii) स्वीकृत धनराशि को आहरित करने हेतु बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय। साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो दिनांक 31.03.2013 तक शासन को वापस कर दिया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2013 तक तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण संलग्न कर शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यो को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु

..........2

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों सहित सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(vii) भविष्य में ऋण/अंशपूंजी की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब निगम इस सदृश लेखों का मिलान महालेखाकार से करा लेगें और उनसे प्रमाण पत्र लेकर शासन को उपलब्ध करायेगें।

(viii) स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/मदवार विवरण शासन को दि0 31.3.2013 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। उक्त आवंटित धनराशि में से जिस धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2013 तक होना सम्भव न हो, तो उस धनराशि के समर्पण का प्रस्ताव दिनांक 30.03.2013 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्षक 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल विद्युत उत्पादन–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश–06–जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश–00–30–निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1003 /XXVII(2)/2013, दिनांक 22, फरवरी, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 सन्धु)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 193(1) /I(2)/2013-04(1)/7/09, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, ओबराय बिलिडिंग सहरानपुर रोड देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट) इन्द्रा नगर देहरादून ।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
8– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।